UNIVERSITY NEWS 29 MARCH 2026

AMAR UJALA

लविवि : अब वर्ष में दो बार होंगे पीएचडी में प्रवेश

पहली बार संविदा शिक्षकों को पीएचडी कराने की छूट, प्रवेश के लिए पहले मई में फिर दिसंबर में लिए जाएंगे आवेदन

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब वर्ष में दो बार पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। पहली बार संविदा शिक्षकों को भी पीएचडी कराने का मौका मिलेगा। प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन थीसिस जमा करेंगे। विश्वविद्यालय में शनिवार को आयोजित विद्या परिषद की बैठक में नए नियमों के साथ पीएचडी अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी गई।

कुलपति प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएचडी अध्यादेश के सातों बिंदुओं में बदलाव करते हुए नए नियम लागू किए गए। अब वर्ष में दो बार

विद्या परिषद की बैठक में नए पीएचडी अध्यादेश 2026 को मिली मंजूरी

मई और दिसंबर में पीएचडी प्रवेश की अधिसूचना जारी होगी। प्रवेश के लिए तीन चरण तय किए गए हैं। पहले चरण में यूजीसी-जेआरएफ, सीएसआईआर-जेआरएफ, आईसीएमआर, डीबीटी और एआईसीटीई डॉक्टोरल फेलोशिप वाले अभ्यर्थी को प्रवेश मिलेगा। दूसरे चरण में खाली सीटों पर वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो प्रोफेसर या पीएचडी प्रवेश के लिए यूजीसी-नेट/सीएसआईआर नेट पास हैं। तीसरे चरण में खाली सीटें यदि रह जाती हैं तो उनका विज्ञापन निकालने के बाद एंट्रेंस के आधार प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया नियमित पदों के समान है तो वह पीएचडी करवा सकेंगे।

अब चार वर्षीय, आठ सेमेस्टर स्नातक डिग्री वाले मेधावी छात्र-छात्राएं पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। अध्यादेश में शोध की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष और अधिकतम छह वर्ष रखी गई है। अंतिम मौखिक परीक्षा तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही पूरी होगी। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए नई शर्तें जोड़ी गई हैं। अब आवेदक के पास मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सरकार, सशस्त्र बल, सार्वजनिक उपक्रम में सूचीबद्ध निगमों में वरिष्ठ स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

शोध अवधि के दौरान न्यूनतम 120 दिन की उपस्थिति जरूरी है। चयन के लिए 1000 शब्दों के शोध प्रस्ताव को 70 प्रतिशत और अनुभव व साक्षात्कार को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। पूर्णकालिक शोधार्थी की नौकरी लगती है तो अपने शोध को पार्ट-टाइम श्रेणी में बदलाव करा सकेंगे।

थीसिस के साथ देना होगा शपथपत्र, मनमानी पर बदले जाएंगे शिक्षक

शोध में ईमानदारी बनाए रखने के लिए अब थीसिस जमा करते समय शोधार्थी को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसमें साहित्यिक चोरी 10 प्रतिशत से कम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता भी 10 प्रतिशत से कम है। परीक्षकों को अब केवल थीसिस की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी। यदि परीक्षक सात दिनों में अपनी सहमति नहीं देते हैं तो उन्हें बदला जा सकता है।

■ **कॉलेजों के शिक्षकों के लिए शोध के नए नियम :** संबद्ध कॉलेजों के स्थायी शिक्षकों को पूर्णकालिक पीएचडी कराने की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश विभाग की कुल सीटों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा, जिसमें हर विभाग में कम से कम एक सीट का प्रावधान जरूरी है।

HINDUSTAN

विद्या परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, संशोधित शोध अध्यादेश को मंजूरी

एलयू में अब संविदा शिक्षक भी करा सकेंगे पीएचडी, 300 सीटें बढ़ेंगी

बैठक

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षिक सत्र 2026-27 से विवि परिसर के अलग-अलग संकायों में संविदा पर कार्यरत ऐसे शिक्षकों को भी पीएचडी कराने का अधिकार प्राप्त होगा, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया नियमित पदों के समान है। इससे विवि के इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पर्यटन, आईएमएस, ज्योतिष विभाग समेत कई अन्य विभागों में कार्यरत 200 से ज्यादा संविदा शिक्षक रिसर्च करा सकेंगे। 300 से ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। यह निर्णय विवि परिसर में कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में आयोजित विद्या परिषद की बैठक में लिया गया।

विद्या परिषद की बैठक में संशोधित पीएचडी अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी गई। जिसके तहत अब वर्ष में दो बार पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण मई और द्वितीय चरण दिसंबर में होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले थीसिस की हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य था, लेकिन अब मूल्यांकन के लिए केवल सॉफ्ट कॉपी (पीडीएफ) ही पर्याप्त होगी, जिससे समय की बचत होगी। वहीं फास्ट लर्नर श्रेणी के तहत मेधावी छात्र अपनी

02 सौ से ज्यादा संविदा शिक्षक तैनात हैं विभिन्न संकायों में

10 फीसदी एआई सहायता की अधिकतम सीमा तय रिसर्च थीसिस में

थीसिस निर्धारित समय से छह महीने पहले भी जमा कर सकते हैं जो 2023 के नियमों में संभव नहीं था। इसी तरह साक्षात्कार के अंकों के लिए एक विस्तृत अकादमिक इंडेक्स (हाई स्कूल से परास्नातक तक) लागू किया गया है ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह योग्यता आधारित रहे। प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि अब शिक्षक रिटायरमेंट की उम्र तक पीएचडी करा सकेंगे। इसके बाद सह-पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। बैठक में अधिष्ठाता कला संकायप्रो. अरविंद मोहन, विज्ञान संकाय प्रो. शीला मिश्रा, अभिनव गुप्त संकाय प्रो. भुवनेश्वरी, वाणिज्य संकाय प्रो. अर्चना सिंह आदि रहे।

शिक्षकों के लिए शोध के विशेष नियम

1. सुपरन्यूमरी सीटों पर प्रवेश : एलयू और संबद्ध या सहायता प्राप्त कॉलेजों के स्थायी शिक्षक को पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में सुपरन्यूमरी सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
2. सीटों का निर्धारण : प्रवेश विभाग की कुल सीटों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा, जिसमें प्रत्येक विभाग में कम से कम एक सीट का प्रावधान अनिवार्य है।
3. वेतन की निरंतरता : एलयू या संबद्ध कॉलेजों के स्थायी शिक्षक जो पीएचडी कर रहे हैं, उन्हें उनके मूल संस्थानों से वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।
4. कोर्स वर्क में लचीलापन : कोर्स वर्क में विशेष छूट दी गई है। नियमित कक्षाओं में उपस्थित होकर या ऑनलाइन मोड का विकल्प चुन सकते हैं। 12 क्रेडिट के शोध संबंधी पाठ्यक्रम मूक्स के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं।
5. उपस्थिति में छूट : कोर्स वर्क पूर्ण करने के बाद शेष शोध अवधि के लिए उपस्थिति मूल संस्थान या विवि के संबंधित विभाग दोनों में से कहीं भी स्वीकार की जाएगी।

एआई नियंत्रण की नीति

प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव का कहना है कि शोध अध्यादेश-2023 के अध्यादेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर स्पष्ट नियम नहीं थे, लेकिन 2026 के नियमों में 10 फीसदी एआई सहायता की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है।

पेशेवरों के लिए पार्ट-टाइम पीएचडी का खुला विकल्प

कामकाजी पेशेवरों के लिए पार्ट-टाइम पीएचडी का विकल्प खुला है, लेकिन इसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें जोड़ी गई हैं। आवेदक के पास मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सरकार, सशस्त्र बल, सार्वजनिक उपक्रम या वीएसई या एनएसई में सूचीबद्ध निगमों में वरिष्ठ स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का निरंतर अनुभव होना चाहिए। शोधार्थी को पूरी शोध अवधि के दौरान न्यूनतम 120 दिन का इंटरेक्शन सुनिश्चित करना होगा। चयन के लिए 1000 शब्दों के शोध प्रस्ताव को 70 प्रतिशत और कार्य अनुभव व साक्षात्कार को 30 फीसदी वेटेज दिया जाएगा।

NBT

लखनऊ विश्वविद्यालय की अकैडमिक काउंसिल की बैठक में नए अध्यादेश को मंजूरी

PhD में अब 10% AI कंटेंट इस्तेमाल कर सकेंगे

फास्ट लर्नर कैटिगरी 6 महीने पहले भी जमा हो सकेगी थीसिस

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) में अब पीएचडी सेकर्ड अकैडेमिक इंटेग्रिटी (AI) की मदद ले सकेंगे। विवि की अकैडमिक काउंसिल ने शनिवार को पीएचडी के नए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसमें तकनीकी ने लेकर थीसिस लेखन तक कई प्रैक्टिसेज बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब थीसिस में 10 फीसदी तक कंटेंट AI से लेने की औपचारिक छूट होगी, जिसका अब तक कोई प्रावधान नहीं था।

इसके साथ ही, सेल्फ कार्य जल्दी पूरा करने वालों को "फास्ट लर्नर कैटिगरी" के तहत छह महीने पहले थीसिस जमा करने की अनुमति दी गई है।

हाईस्कूल के नंबर दिलाएंगे पीएचडी में दाखिला

अब तक पीएचडी दाखिले में ऐकेडमिक इंडेक्स की गणना स्नातक से होती थी, लेकिन अब हायर्स हाईस्कूल के अंक भी जुड़ेंगे। हाईस्कूल में 80% से ज्यादा अंक वालों को 3 अंक और 60% से कम वालों को 1 अंक मिलेगा। इसी तरह पीएचडी तक के अंक निर्धारित किए गए हैं, जिससे मेरिटवेरी की रह आसान होगी।

नौकरी लगी तो नहीं छूटेगी पीएचडी

सेल्फवेरी के लिए एक बड़ी राहत यह है कि पीएचडी के दौरान उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, तो शोध को "पार्ट टाइम" में बदला जा सकेगा। इससे उन्हें नौकरी या पीएचडी में से किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं होगी।

साल में दो बार और तीन चरणों में होंगे दाखिले

■ पीएचडी में अब साल में दो बार मई और दिसंबर में दाखिले होंगे। प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी।

■ **पहला चरण:** JRF, ICMR, CSIR और डीबीटीटाइप फेलोशिप प्राप्त अभ्यर्थियों को सीधे दाखिला।

■ **दूसरा चरण:** बची सीटों पर UGC-NET या CSIR-NET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का इंटरव्यू। (पहले और दूसरे चरण की प्रवेश परीक्षा से छूट रहेगी)।

■ **तीसरा चरण:** विवि की अपनी प्रवेश परीक्षा पास करने वाले शोधार्थियों को मौका मिलेगा।

नए कोर्स और सेंटर पर मुहर

बैठक में अकैडमिक इंटरनेशनल के कई नए विषय ऐच्छिक पाठ्य शुरू करने और अंटर व सहायक के सिलेबस में AI शामिल करने का निर्णय लिया गया। विवि जल्द ही सत्र साल के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल (IPR) नीति निर्माण की नई में और बुरा नए सेंटरों के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।

Phd में ये अहम बदलाव

■ 4 अंक ईजुएशन पास करने वाले को इस साल से सीधे पीएचडी में दाखिला मिल सकेगा।

■ थीसिस जाएगे के लिए अब सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही जमा करनी होगी।

■ डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को "सुपरन्यूमेरिक" सीट (सिक्षिति सीटों से अलग) पर दाखिला मिलेगा और उन्हें ऑनलाइन कोर्स वर्क की छूट होगी।

■ वॉर्ड परीक्षक : 7 दिनों में अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो रिसर्चर के बाद उन्हें बदला जा सकेगा।

एलयूक डिजिटल डेटिकेशन समाधान उपलब्ध कराता है

एलयूक का मुख्य उद्देश्य फर्जी प्रमाण-पत्रों की बढ़ती समस्या का जड़ से समाधान करना और डेटिकेशन कार्यक्रम के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इस बड़ी पहेंटेन से कॉपी को अपने तकनीकी ढांचे को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में मदद मिलेगी। यह विवेक उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बेहद सकारात्मक संकेत है। विवि के कुलपति प्रो. जय प्रकाश पांडेय एलयूक की इस सफलता पर सेंटर के निदेशक प्रो. राजीव कुमार और डी. अनुज कुमार शर्मा समेत कंपनी के संस्थापक अमृत बंसल और तिलकी मेहरोत्रा को बधाई दी। वीसी ने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। समय-समय पर स्टार्टअप मेंटरी और विशेषज्ञ सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। एलयूक ने इनक्रेडेशन हब में पंजीकृत कई स्टार्टअप अब सफल कंपनियों के रूप में उभर रहे हैं, जो प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और प्रेरणा के नए स्रोत बन रहे हैं।

स्टार्टअप 'एडुबुक' को ₹400 करोड़ की फंडिंग

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : दो एशेने अमृत कालम आंशिक विश्वविद्यालय (AKTU) के स्टार्टअप इनोवेशन में एक बड़ी वैश्विक कामयाबी हासिल की है। विश्वविद्यालय के में पंजीकृत स्टार्टअप कंपनी एडुबुक को डिजिटल डेटेशिवन वेरिफिकेशन के क्षेत्र में 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 400 करोड़ रुपये) की फंडिंग मिली है। यह महत्वपूर्ण निवेश निक्का वेंचरल की ओर से किया गया है। एडुबुक मुख्य रूप से कॉलेजों एवं संस्थानों को आधुनिक डिजिटल वेरिफिकेशन समाधान उपलब्ध कराता है। कंपनी अब तक एक लाख से अधिक सफल ऑन-चेन वेरिफिकेशन कर चुकी है।

DAINIK JAGRAN

लविवि :वर्ष में दो बार होगा पीएचडी में प्रवेश

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: लखनऊ विश्वविद्यालय में अब प्रत्येक वर्ष दो बार एचडी में प्रवेश लियाजाएगा। विश्वविद्यालय के विद्या परिषद ने नए 'पी.एच.डी. अध्यादेश 2026' को मंजूरी प्रदान कर दी है। कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया जिसमें महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

लखनऊ विश्वविद्यालय अब साल में दो बार (मई और दिसंबर) पी.एच.डी. प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा । प्रवेश को तीन चरणों में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम चरण: यूजीसी-जेआरएफ, सीएसआईआर-जेआरएफ,

'फास्ट लर्नर' को विशेष रियायत

■ अध्यादेश में शोध की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष रखी गई है । हालांकि, असाधारण प्रतिभा वाले 'फास्ट लर्नर' शोधार्थियों के लिए कुलपति की अनुमति से थीसिस जमा करने की अवधि में 6 महीने की कटौती की जा सकती है ।

आईसीएमआर, डीबीटी और एआईसीटीई डॉक्टोरल फेलोशिप प्राप्त अभ्यर्थी । द्वितीय चरण: प्रथम चरण के बाद रिक्त सीटों पर वे अभ्यर्थी जो सहायक प्रोफेसर या पी.एच.डी. प्रवेश के लिए यूजीसी-नेट/सीएसआईआर-नेट उत्तीर्ण हैं । तृतीय चरण: शेष सीटों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश होगा।

अकादमिक लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए, अब 4-वर्षीय, 8-सेमेस्टर स्नातक डिग्री वाले मेधावी छात्र पी.एच.डी. में प्रवेश ले सकते हैं ।

अब लवि परिसर के संविदा शिक्षक भी करा सकेंगे पीएचडी

जागरण संवाददाता • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में तैनात संविदा शिक्षक भी अब पीएच.डी कराने के लिए पात्र होंगे। अभी तक यह सुविधा नहीं थी। इस व्यवस्था से फार्मेसी, इंजीनियरिंग, आइएमएस, योग सहित विभिन्न विभागों के करीब 200 संविदा शिक्षकों को शोध पर्यवेक्षक बनने का लाभ मिलेगा। इससे सीटें भी बढ़ जाएंगी। वहीं, लवि अब साल में दो बार मई और दिसंबर में पीएच.डी प्रवेश परीक्षा तीन चरणों में आयोजित करेगा। शोधार्थियों के शोध पूरा करने की अवधि अब आठ से घटाकर अधिकतम सात वर्ष होगी। शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पीएच.डी अध्यादेश 2026 के तहत कई नए प्रविधानों को लागू करने पर सहमति बनी।

दरअसल, अभी तक सिर्फ लवि एवं संबद्ध महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों को ही पीएच.डी कराने के लिए शोधार्थी आवंटित किए जाते हैं। अब विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया नियमित पदों के समान है, अब शोध पर्यवेक्षक बन सकेंगे। वहीं, अब सेवानिवृत्त (62 साल) होने तक स्थायी शिक्षकों को शोध छात्र आवंटित किए जा सकेंगे। अभी तक सेवानिवृत्ति के तीन साल पहले तक का ही प्रविधान था।

- लवि में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में दी गई संशोधित अध्यादेश को मंजूरी
- अब सेवानिवृत्त होने तक शिक्षकों को आवंटित किए जा सकेंगे शोधार्थी

थीसिस जमा करने की समय सीमा घटी

पीएच.डी थीसिस जमा करने की अवधि अभी तक आठ साल थी, जिसे घटाकर सात वर्ष कर दिया गया है। साथ ही सभी के लिए दो शोध पत्र का प्रकाशन भी अनिवार्य रहेगा। पार्ट टाइम शोधार्थियों के लिए 90 दिन की उपस्थिति बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई। थीसिस जमा करते समय शोधार्थियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसमें साहित्यिक चोरी 10 प्रतिशत से कम और एआइ की सहायता भी 10 प्रतिशत से कम ली है।

ये भी निर्णय

- पीएच.डी थीसिस की हार्ड की जगह सिर्फ साफ्ट कापी जमा होगी।
- लवि और संबद्ध कालेजों को 10 प्रतिशत सुपरन्यूमरी सीटों पर प्रवेश मिलेगा।
- पीएच.डी करने वाले स्थायी शिक्षक मूल संस्थान से वेतन ले सकेंगे।
- ऐसे शिक्षक आनलाइन मोड या 12 क्रेडिट के शोध कोर्स मूक्स के माध्यम से कर सकेंगे।
- पूर्णाकालिक शोधार्थी शोध के दौरान नौकरी पर चयनित होने पर पार्टटाइम में शोध परिवर्तित कर सकेंगे।

I NEXT

एलयू के संविदा शिक्षक भी अब करा सकेंगे पीएचडी

अब सेवानिवृत्त होने तक शिक्षकों को आवंटित किए जा सकेंगे शोधार्थी

लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में दी गई संशोधित अध्यादेश को मंजूरी

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (28 March): लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में तैनात संविदा शिक्षक भी अब पीएचडी कराने के लिए पात्र होंगे. अभी तक यह सुविधा नहीं थी. इस व्यवस्था से फार्मेसी, इंजीनियरिंग, आइएमएस सहित विभिन्न विभागों के करीब 200 संविदा शिक्षकों को शोध पर्यवेक्षक बनने का लाभ मिलेगा. वहीं, लवि अब साल में दो बार मई और दिसंबर में पीएचडी प्रवेश परीक्षा तीन चरणों में आयोजित करेगा. शोधार्थियों के शोध पूरा करने की अवधि अब आठ से घटाकर अधिकतम सात वर्ष होगी. शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पीएचडी अध्यादेश 2026 के तहत कई नए प्रविधानों को लागू करने पर सहमति बनी. इससे अब पीएचडी की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स को काफी आसानी होगी.

शोध पर्यवेक्षक बन सकेंगे

अभी तक सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों को ही पीएचडी कराने के लिए शोधार्थी आवंटित किए जाते हैं. अब विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया नियमित पदों के समान है, अब शोध पर्यवेक्षक बन सकेंगे. वहीं, अब सेवानिवृत्त (62 साल) होने तक स्थायी शिक्षकों को शोध छात्र आवंटित किए जा सकेंगे. अभी तक सेवानिवृत्ति के तीन साल पहले तक का ही प्रविधान था.

तीन चरणों में होगी प्रवेश परीक्षा

लवि हर साल मई और दिसंबर में पीएचडी. प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा. प्रवेश तीन चरणों में होगे. पहले चरण में यूजीसी-जेआरएफ, सीएसआइआर-जेआरएफ, आइसीएमआर, डीबीटी और एआइसीटीई डाक्टोरल फेलोशिप प्राप्त अभ्यर्थी पात्र होगे. दूसरे चरण में खाली सीटो पर वे अभ्यर्थी जो सहायक प्रोफेसर या पीएचडी प्रवेश के लिए यूजीसी-नेट/सीएसआइआर-नेट उत्तीर्ण है. तीसरे चरण में शेष सीटो के लिए शोध प्रवेश परीक्षा होगी. असाधारण प्रतिभा वाले 'फास्ट लर्नर' शोधार्थियो के लिए कुलपति की अनुमति से थीसिस जमा करने की अवधि मे छह महीने की कटौती की जा सकती है. हालाकि, अतिम मौखिक परीक्षा तीप वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद ही होगी. वहीं, अब चार वर्षीय वर्षीय स्नातक डिग्री वाले मेधावी छात्र पीएचडी मे प्रवेश ले सकते है. अब अंतरराष्ट्रीय को-सुपरवाइर भी नियुक्त किए जा कैगे.

200 संविदा शिक्षकों को शोध परिषेक बनने का लाभ मिलेगा

थीसिस जमा करने की समय सीमा घटी

पीएचडी थीसिस जमा करने की अवधि अभी तक आठ साल थी, जिसे घटाकर सात वर्ष कर दिया गया है. साथ ही सभी के लिए दो शोध पत्र का प्रकाशन भी अनिवार्य रहेगा. पार्ट टाइम शोधार्थियों के लिए 90 दिन की उपस्थिति बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई. थीसिस जमा करते समय शोधार्थियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसमे साहित्यिक चोरी 10 प्रतिशत से कम और एआइ की सहायता भी 10 प्रतिशत से कम की है. कामकाजी पेशेवरो को पार्ट टाइम पीएचडी करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्ते रखी गई है. उनके पास मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या सार्वजनिक उपक्रम आदि मे शामिल वरिष्ठ स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, शोध अवधि मे 120 का इंटरेक्शन अनिवार्य है.

ये भी निर्णय

1. पीएचडी थीसिस की हार्ड की जगह सिर्फ साफ्ट कापी जमा होगी.
2. लवि और संबद्ध कालेजों को 10 प्रतिशत सुपरन्यूमरी सीटों पर प्रवेश मिलेगा .
3. पीएचडी करने वाले स्थायी शिक्षक मूल संस्थान से वेतन ले सकेंगे.
4. ऐसे शिक्षक आनलाइन मोड या 12 क्रेडिट के शोध कोर्स मूक्स के माध्यम से कर सकेंगे.
5. पूर्णाकालिक शोधार्थी शोध के दौरान नौकरी पर चयनित होने पर पार्टटाइम में शोध परिवर्तित कर सकेंगे.

DAINIK JAGRAN

आठ कोर्सों में प्रथम सेमेस्टर के परिणाम जारी

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय ने शनिवार को आठ पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जारी कर दिए। इसमें एम.काम अप्लाइड इकोनामिक्स, एम.काम एक वर्षीय, एम.ए डिफेंस स्टडीज, एम.ए फ्रेंच, एम.ए सांख्यिकी और एमबीए कोर्स शामिल हैं। (वि.)

HINDUSTAN TIMES

LU mandates affidavit for plagiarism-free thesis

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : After DrillBit software, used for spotting copied material, detected that 95% of the PhD theses submitted at the Lucknow University (LU) in January and February this year were plagiarised, the university in its new PhD Ordinance 2026 during its Academic Council on Saturday mandated submission of thesis in soft copy format along with an affidavit ensuring that the work is plagiarism-free and AI assistance is less than 10%.

Prof JP Saini, vice chancellor, said: "The thesis will be sent only in soft copy format (PDFs) for evaluation and if the examiner does not give their consent to become an examiner for the PhD viva within 7 days, they can be replaced after a reminder."

Additionally, it has also been decided that meritorious students with four year graduation can pursue a PhD.

Teachers in self-financed courses, whose appointment process is similar to regular posts, will now be able to become research supervisors. Given the complexity of research and interdisciplinary needs, international co-supervisors can now also be appointed.

The council approved conducting biannual admission and graded selection of the research scholars.

"The university will conduct PhD admission twice a year (May and December) in three phases," Saini added.

Candidates will be evaluated during the interview based on a transparent 'Academic Index'. The new PhD Ordinance has fixed the minimum period of research at 3 years and maximum at 6 years.

TIMES OF INDIA

LU approval to conducting PhD admissions twice a year

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Lucknow University's academic council on Saturday approved the 'PhD Ordinance 2026', under which the university will conduct PhD admissions twice a year (May and Dec). The admission process will have three phases.

In the first and second phase, the university will give preference to those who have qualified national level fellowships, doctoral courses and cleared eligibility tests conducted respectively by various higher education bodies. These candidates can directly appear in interviews for admissions.

In the third phase, the university will conduct a Research Entrance Test (RET) for those candidates who do not fall under phase one and two. This entrance test is conducted to allow **ORDINANCE '26** candidates without national fellowships or NET compete fairly for the remaining seats.

Under the new ordinance, candidates who have completed four-year (8-semester) undergraduate course will also be eligible for purusing PhD.

Moreover, PhD scholars earlier had up to 8 years (6 years plus 2-year extension) to complete their research. The new ordinance reduces this to 7 years (6 years plus 1-year extension).

Further, faculty in self-financed courses can now also serve as supervisors for PhD. Earlier, teachers of regular courses could supervise PhD.

International co-supervisors will also be allowed for interdisciplinary research.

Further, if a regular PhD candidate gets a job during research, she/he can switch over to part-time course.

LU to start courses on Gita & Natya Shastra

Lucknow: The academic council of Lucknow University on Saturday approved the proposal of the Abhinavagupt Institute of Aesthetics and Shaiva Philosophy under which new value added optional courses will be started from the next session. Under this, the students will get an opportunity to learn creativity skills through Natya Shastra, classical philosophy through the Indian knowledge system, and ways to manage mental health through the Bhagwad Gita.

According to the university officials, the lessons based on Bhagwat Gita will be offered as co-curricular course at undergraduate level in semester I and III. TNN

HINDUSTAN

एलयू में आठ कोर्स के परिणाम जारी किए गए

लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025-26 प्रवेश प्रक्रिया के तहत परास्नातक स्तर के आठ पाठ्यक्रमों के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थी एलयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अनुक्रमांक और जन्म तिथि के जरिए देख सकते हैं।